नम्बर व तारीख
...काम जो इस
...की तारीख
जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारीः–रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–12/2017 प्रार्थना पत्र

1. श्री उदयलाल पिता प्यारा बलाई नाबा0 बविलायत संरक्षक माता एजी बेवा प्यारा बलाई निवासी बेमाली तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)
2. सोनु पिता प्यारा बलाई नाबा0 बविलायत संरक्षक माता एजी बेवा प्यारा बलाई निवासी बेमाली तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)
3. लेहरी पिता प्यारा बलाई नाबा0 बविलायत संरक्षक माता एजी बेवा प्यारा बलाई निवासी बेमाली तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)
4. हीरू पिता प्यारा बलाई नाबा0 बविलायत संरक्षक माता एजी बेवा प्यारा बलाई निवासी बेमाली तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)
5. एजी बेवा प्यारा बलाई निवासी बेमाली तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)
6. श्री होकमा पिता बोतु बलाई निवासी बेमाली तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)
7. नेनू बेवा बोतु बलाई निवासी बेमाली तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)

---प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमति मेहताब बाई पत्नि बालु सुनार निवासी बेमाली तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा(राज0)

---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अंतर्गत धारा 251–ए राज.टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थितः–

1– श्री ताराचंद जैन	–	अधिवक्ता–प्रार्थीगण
2– मुरलीधर जोशी	–	अधिवक्ता–विपक्षी संख्या 1
3– नायब तहसीलदार करेडा	–	विपक्षी संख्या 2

...अधिकारी पदेन
...सहायक कलक्टर करेड़ा

:: निर्णय :: दिनांकः– 27.11.2017

प्रार्थीगण के द्वारा यहां विपक्षीगण के विरूद्ध एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर मौजा ग्राम बेमाली तह0 करेडा की आ0 न0 342 रकबा 17 बिस्वा, आ0न0 344 रकबा 15 बिस्वा, आ0न0 345 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, आ0न0 346 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा के खातेदार काश्तकार होने का कथन करते हुए उक्त आराजी पर आने जाने का कदीमा रास्ता सरकारी रास्ता की आराजी नम्बर 318 गे.मु. रास्ता से होकर विपक्षी संख्या 1 की आ0न0 347 की पूर्वी उत्तरी मेड के सहारे–सहारे से होकर प्रार्थीगण अपनी आराजियात में प्रवेश करते है। प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजियात में आने जाने का एकमात्र रास्ता उपरोक्त रास्ता ही है इसके अलावा

Scanned by CamScanner

अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर विपक्षी संख्या 1 की आ0 न0 347 में 30 फीट चौडाई का रास्ता कायम करने की स्वीकृति प्रदान कर राजस्व नक्शे में दर्ज करने की आज्ञा फरमावें।

प्रार्थीगण का आवेदन प्रस्तुत होने से पंजीबद्ध कर विपक्षी की सुनवाई हेतु सम्मन नोटिस जारी किये। विपक्षी को सम्मन नोटिस तामिल होने के पश्चात विपक्षी संख्या 1 की और से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल फाइल किया गया। न्यायालय द्वारा मौके का निरीक्षण कर प्रार्थीगण की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है अथवा नहीं या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नहीं, इस तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेडा से मंगवाई जाने की आदेशिका पारित की।

इस न्यायालय को उपखण्ड न्यायालय नवीन सृजित हो जाने से न्यायालय मांडल से यहां अंतरित होकर प्राप्त हुई। तत्पश्चात् संबधित पक्षकारों के अधिवक्ताओं पेशियों की निर्धारित हो जाने की सूचना बार एसोसिएशन मांडल को भेजी गई।

पत्रावली इस न्यायालय के समक्ष निर्धारित पेशी पर पेश हुई, पक्षकारों को आवाज लगाई गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित व विपक्षी संख्या 1 की और से उनके अधिवक्ता उपस्थित व पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख, नक्शा ट्रेस, एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की और इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की आराजियात पर आने जाने, संज बैलगाडी एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है जबकि अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 ने विरोध व्यक्त किया। तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के नाम पर आ0 न0 342 रकबा 17 बिस्वा, आ0न0 344 रकबा 15 बिस्वा, आ0न0 345 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, आ0न0 346 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा के नाम दर्ज रेकार्ड है। आ0 न0 347 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है मौके पर वर्तमान में रास्ता चालू नहीं है तथा उक्त आराजियात पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता भी नहीं है। प्रार्थी के अनुसार वह वर्षों से इसी रास्ते का उपयोग-उपभोग करता आ रहा है। मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ते में आ0न0 347 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा में से उत्तरी पूर्वी मेड के सहारे-सहारे 02 बिस्वा भूमि आती है। रास्ते में ली जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य डीएलसी रेट की दुगुनी राशि जो विपक्षी संख्या 1 को देय है प्रार्थीगण अदा करने को तैयार है।

मैने उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया। ग्राम बेमाली पटवार हल्का बेमाली तहसील करेडा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आ0 न0 342 रकबा 17 बिस्वा, आ0न0 344 रकबा 15 बिस्वा, आ0न0 345 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, आ0न0 346 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि में जाने के लिये विपक्षी संख्या 1 की आ0न0 347 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा में से उत्तरी पूर्वी मेड के सहारे-सहारे 02 बिस्वा भूमि रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत

Scanned by CamScanner

जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर विपक्षी की खातेदारी हक की आ0 न0 347 में से 02 बिस्वा भूमि (2 गठ्ठा चौडाई) का रास्ता प्रार्थी की आराजियात पर कृषि कार्य हेतु आने जाने का रास्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथा इसी भांति राजस्व नक्शा में भी रास्ता कायम करने की आज्ञा पारित की जाती है। इस आदेश की पालना में तहसीलदार करेडा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावें कि रास्ते के लिए आरक्षित की जाने वाली 02 बिस्वा भूमि की डी.एल.सी दर से दोगुणा मूल्य प्रार्थीगण से वसूल कर विपक्षी संख्या 1 को क्षतिपूर्ति हेतु दी जावें। विपक्षी संख्या 1 द्वारा क्षतिपूर्ति राशि नहीं लेने पर राजकोष में जमा की जावें।

यह आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
करेड़ा, जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner